संख्या-1195/2025/2093/22-2-2024-17(843)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द उर्फ राजन पुत्र श्री विशम्भर नाथ बाजपेयी, निवासी जनपद-हरदोई के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-36860/प्रोबे०-5-दया० बैठक-19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द उर्फ राजन पुत्र श्री विशम्भर नाथ बाजपेयी, जो ग्राम-कुल्लही, थाना-पिहानी, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा आपसी बटवारें को लेकर दिनांक 15-07-2013 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती पिंकी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-818/2013 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 19.01.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 01 माह, 02 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी अरविन्द उर्फ राजन पुत्र श्री विशम्भर नाथ बाजपेयी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट दिनाक 08.01.2024 के अनुसार बन्दी की 35 वर्ष, 27 दिन की आयु एवं स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 08.01.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 01 गाह, 02 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द उर्फ राजन (बन्दी संख्या-17383) पुत्र श्री विशम्भर नाथ बाजपेयी, जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1195/2025/2093(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।